रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112026-278022
CG-DL-E-18112026-278022

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5910] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2026/कार्तिक 20, 1948
No. 5910] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2026/KARTIKA 20, 1948

खान मंत्रालय

(राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2026

विषय: राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास की लेखा प्रक्रिया

का.आ. 6149(अ).— I. क. कोष की स्थापना 1. केंद्र सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, 26 मार्च 2015 को यथा संशोधित, की धारा 9ग की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देश में खनिज गवेषण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक न्यास अर्थात राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास की स्थापना की है।

तदनुसार, केंद्र सरकार ने एक कोष स्थापित करने का निर्णय लिया जिसे राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) कोष कहा जाएगा।

इसके अलावा, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 द्वारा यथा संशोधित, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास का नाम बदलकर राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास कर दिया गया है। इसलिए, एनएमईटी कोष का नाम भी बदलकर राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास (एनएमईडीटी) कोष कर दिया जाएगा।

2. प्रस्तावित कोष गैर-व्यपगत होगी और भारत के लोक लेखा के बिना ब्याज वाले खंड के तहत रखी जाएगी और इसका प्रशासन खान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

3. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 की धारा 9ग (4) के अनुसार, खनन पट्टा या समेकित अनुज्ञप्ति धारक, केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित तरीके से दूसरी अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के तीन प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान न्यास को करेगा।

4. केंद्र सरकार द्वारा एनएमईडीटी कोष की राशि संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त की जाएगी, जो खनिकों से इसे एकत्र करेगी।

ख. कोष का प्रशासन

कोष के प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय खान मंत्रालय होगा। राज्य सरकारों को खान मंत्रालय द्वारा निर्धारित एमआईएस (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) के माध्यम से प्रत्येक माह या तिमाही में कोष में हुई वृद्धि और बजट तैयार करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त जानकारी की रिपोर्ट देनी होगी।

ग. कोष में वृद्धि

दूसरी अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के तीन प्रतिशत के बराबर राशि एनएमईडीटी कोष में जमा की जाएगी। राज्य सरकारों द्वारा इस तरह एकत्रित की गई राशि को शुरू में राज्य के लोक खाते में एक शीर्ष के तहत दर्ज किया जाएगा और उसके बाद इसे केंद्र को हस्तांतरित किया जाएगा। इन प्राप्तियों को खान मंत्रालय द्वारा भारत की समेकित कोष के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उसके बाद वर्ष के दौरान विनियोजनों के माध्यम से भारत के लोक लेखा खाते के तहत एनएमईडीटी कोष में समय-समय पर अंतरित किया जाएगा।

जबकि एक वर्ष में संपूर्ण संचय को वित्त वर्ष के समापन से पहले अंतरित कर दिया जाना चाहिए, प्रत्येक माह प्रगतिशील संचय को अधिमानतः अंतरित किया जाना चाहिए। अंतर-खाता अंतरण के लिए उपयुक्त बजट प्रावधान तैयार किए जा सकते हैं।

घ. कोष का उपयोग

1. न्यास द्वारा इस कोष के तहत राशि का उपयोग भारत के भीतर अपतटीय क्षेत्रों सहित खनिजों के लिए क्षेत्रीय और विस्तृत गवेषण करने के लिए तथा भारत के बाहर क्षेत्रीय और विस्तृत गवेषण एवं खानों और खनिजों के विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा तथा यह ऐसे कार्यकलाप करेगा जो इसके उद्देश्यों जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, को प्राप्त करने के लिए शासी निकाय द्वारा आवश्यक समझी जा सकते हैं:

(क) महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों या गहराई में स्थित या छिपे हुए खनिज निक्षेपों की पहचान करने, गवेषण करने, निकालने, संवर्धन करने और उन्हें परिष्कृत करने के लिए तैयार किए गए विशेष अध्ययनों और परिस्कीमों को वित्तपोषित करना;

(ख) खनिज विकास, सतत खनन, उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी पद्धतियों को अपनाने, तथा खनिज निष्कर्षण धातु विज्ञान के संबंध में अध्ययन करना;

(ग) विशेष रूप से सामरिक और महत्वपूर्ण खनिजों को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्रीय और विस्तृत गवेषण के लिए क्षेत्रों की खोज करना;

(घ) न्यास द्वारा किए जाने वाले गवेषण की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए 'सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड' से परामर्श करना।

(ड.) गवेषण कार्यकलापों को इस प्रकार सुगम बनाना ताकि गवेषित क्षेत्रों को अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप खनिज रियायत देने के लिए चुना जा सके;

(च) आधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों के लिए उच्च जोखिम गवेषण करने सहित स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता वाले क्षेत्रों (जी3) में ब्राउनफील्ड क्षेत्रीय गवेषण परिस्कीमों को पूरा करने में सहायता प्रदान करना;

(छ) उन क्षेत्रों में विस्तृत गवेषण (जी2 या जी1) पूरा करने को बढ़ावा देना जहां जी3 चरण गवेषण पूरा हो चुका है;

(ज) स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता वाले क्षेत्रों के भूभौतिकीय, जमीनी और हवाई सर्वेक्षण तथा भू-रासायनिक सर्वेक्षण को सुगम बनाना;

(झ) पृथ्वी विज्ञान में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और खनिज संभावनाओं के मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय केंद्रीय भंडार की सुविधा प्रदान करना;

(ञ) गवेषण में लगे या लगने वाले कार्मिकों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना;

(ट) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के उद्देश्यों और स्कीमों में सहायता प्रदान करना और वित्तपोषण करना, जिसके अंतर्गत घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण खनिज गवेषण, भारत से बाहर गवेषण कार्यकलापों में सहायता प्रदान करना, विदेशी स्रोतों के जोखिम को कम करना और खनिज प्राप्ति शामिल हैं;

(ठ) खनन, प्रसंस्करण, संवर्धन, निकासी अवसंरचना, प्रौद्योगिकी उन्नयन और खनन विकास से संबंधित अन्य कार्यकलापों में सहायता प्रदान करना और वित्तपोषण; और

(ड) शासी निकाय द्वारा निर्धारित या कार्यकारी समिति द्वारा भारत के खनिज संसाधनों के संरक्षण, विकास और दोहन के हित में आवश्यक समझे गए अन्य उद्देश्यों के लिए न्यास कोष का उपयोग, बशर्ते यह अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो।

2. एनएमईडीटी कोष से वित्त पोषित की जाने वाली समर्पित स्कीमों/कार्यकलापों को कोष को अधिसूचित करते समय उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा। भारत के समेकित कोष में उक्त स्कीमों/कार्यकलापों के अंतर्गत व्यय के बजट प्रावधानों का उक्त कोष से प्रतिपूर्ति से मिलान किया जाना चाहिए। एनएमईडीटी कोष से निर्धारित स्कीमों/कार्यकलापों के लिए बजट प्रावधान करते समय यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उक्त कोष में पर्याप्त शेष राशि है।

ढ. लेखा अभिलेखों और एनएमईडीटी कोष की ब्रॉडशीट का रखरखाव

1. वेतन और लेखा कार्यालय, खान मंत्रालय, एनएमईडीटी कोष से संवर्द्धन और भुगतान की एक ब्रॉडशीट बनाएगा और संबंधित प्रभाग के साथ मासिक आधार पर उसका समाधान करेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी समय आरक्षित कोष के तहत कोई प्रतिकूल शेष राशि न हो। प्रधान लेखा अधिकारी बजट निर्माण के लिए सूचना प्रदान करेगा।

2. खान के विनियोजन खाते स्कीम-वार उपयोग के साथ-साथ कोष में लेनदेन/प्रवाह और शेष राशि का सारांश दर्शाएंगे।

ण. एनएमईडीटी कोष की लेखापरीक्षा

एनएमईडीटी कोष के खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कानूनी लेखापरीक्षा के अध्यधीन होंगे। ये खाते मुख्य लेखा नियंत्रक, खान मंत्रालय के आंतरिक लेखा विंग द्वारा लेखा परीक्षा के अध्यधीन भी होंगे।

इस मामले में विस्तृत लेखा प्रविष्टियाँ निम्नानुसार हैं:-

I. राज्य सरकारें खनिकों से रॉयल्टी की 3% राशि एकत्र करेंगी और इसे निम्नलिखित लेखा शीर्ष के तहत वर्गीकृत करेंगी।

प्रमुख शीर्ष	8449	अन्य जमा राशि
गौण शीर्ष	123	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास जमा राशि

(यह शीर्ष राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा)

II. राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार एकत्र की गई प्राप्तियों को 8449.00.123-राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास जमा मद से डेबिट करके मासिक आधार पर केंद्र सरकार को अंतरित किया जाएगा।

निम्नलिखित लेखा शीर्ष में एनएमईडीटी कोष में प्राप्त राशि को केंद्र सरकार की लेखा पुस्तकों में क्रेडिट किया जाएगा।

प्रमुख शीर्ष	0853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग
गौण शीर्ष	105	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास
उप शीर्ष	XX	राज्यों के नाम अलग-अलग उप शीर्ष के रूप में दिखेंगे

III. एनएमईडीटी सचिवालय/मंत्रालय के संबंधित प्रभाग राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास में होने वाली प्राप्तियों का अनुमान बजट प्रभाग (वित्त मंत्रालय) को उपलब्ध कराएगा, ताकि वे खान मंत्रालय की अनुदान मांग के तहत 2853.02.797, 4853.01.797, 3601.08.797 और 3602.08.797 शीर्ष के अंतर्गत एनएमईडीटी कोष में सुगम अंतरण के लिए उपयुक्त प्रावधान कर सकें। एनएमईडीटी प्राप्तियों को एनएमईडीटी निधि में अंतरित करने पर निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी।

डेबिट		
प्रमुख शीर्ष	2853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग
उप-प्रमुख शीर्ष	02	खानों का विनियमन और विकास
गौण शीर्ष	797	आरक्षित निधि में अंतरण/जमा खाते
उप शीर्ष	01	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष में अंतरण
विस्तृत शीर्ष	XX	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष में अंतरण – अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग
वस्तु शीर्ष	63	अंतर खाता अंतरण
क्रेडिट		
प्रमुख शीर्ष	8235	सामान्य और अन्य आरक्षित कोष
उप-प्रमुख शीर्ष	00	चूक
गौण शीर्ष	144	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष
उप शीर्ष	01	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष – अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग
विस्तृत शीर्ष	00	चूक
वस्तु शीर्ष	00	चूक

डेबिट		
प्रमुख शीर्ष	4853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
उप-प्रमुख शीर्ष	01	खनिज गवेषण और विकास
गौण शीर्ष	797	आरक्षित निधि में अंतरण/जमा खाते
उप शीर्ष	XX	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष में अंतरण
विस्तृत शीर्ष	XX	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष में अंतरण – अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग

वस्तु शीर्ष	63	अंतर खाता अंतरण
क्रेडिट		
प्रमुख शीर्ष	8235	सामान्य और अन्य आरक्षित कोष
उप-प्रमुख शीर्ष	00	चूक
गौण शीर्ष	144	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष
उप शीर्ष	XX	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष – अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग
विस्तृत शीर्ष	00	चूक
वस्तु शीर्ष	00	चूक

डेबिट		
प्रमुख शीर्ष	3601	राज्य सरकारों को अनुदान सहायता
उप-प्रमुख शीर्ष	08	राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान
गौण शीर्ष	797	आरक्षित कोष में अंतरण/जमा खाते
उप शीर्ष	XX	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष में अंतरण
विस्तृत शीर्ष	XX	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष में अंतरण – अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग
वस्तु शीर्ष	63	अंतर खाता अंतरण
क्रेडिट		
प्रमुख शीर्ष	8235	सामान्य और अन्य आरक्षित कोष
उप-प्रमुख शीर्ष	00	चूक
गौण शीर्ष	144	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष
उप शीर्ष	XX	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष – अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग
विस्तृत शीर्ष	00	चूक
वस्तु शीर्ष	00	चूक

डेबिट		
प्रमुख शीर्ष	3602	विधायिका वाली संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान सहायता
उप-प्रमुख शीर्ष	08	विधायिका वाली संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान
गौण शीर्ष	797	आरक्षित कोष में अंतरण/जमा खाते
उप शीर्ष	XX	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष में अंतरण
विस्तृत शीर्ष	XX	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष में अंतरण – विधायिका वाली संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान सहायता
वस्तु शीर्ष	63	अंतर खाता अंतरण

क्रेडिट		
प्रमुख शीर्ष	8235	सामान्य और अन्य आरक्षित कोष
उप-प्रमुख शीर्ष	00	चूक
गौण शीर्ष	144	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष
उप शीर्ष	XX	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष – विधायिका वाली संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान सहायता
विस्तृत शीर्ष	00	चूक
वस्तु शीर्ष	00	चूक

IV. एनएमईडीटी के तहत विभिन्न स्कीमों के तहत व्यय करने के लिए गौण शीर्ष (एमएच) 2853, 4853, 3601 और 3602 के तहत खान मंत्रालय की अनुदान मांगों में भी बजट प्रावधान किया जाएगा। समान राशि एनएमईडीटी कोष से पूरी की जाएगी।

V. निधियों के समुचित विनियोजन और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, एनएमईडीटी कोष से वित्तपोषित स्कीमों पर व्यय प्रमुख शीर्ष 2853, 4853, 3601 और 3602 के तहत संबंधित उप-प्रमुख/ गौण शीर्षों से किया जाएगा। मंत्रालय/विभाग द्वारा जारी मंजूरियों के आधार पर, वेतन और लेखा अधिकारी निम्नलिखित रूप से सरकारी खाते को डेबिट करके भुगतान करेगा:

डेबिट		
प्रमुख शीर्ष	2853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग
उप-प्रमुख शीर्ष	02	खानों का विनियमन और विकास
गौण शीर्ष	102	खनिज गवेषण

डेबिट		
प्रमुख शीर्ष	4853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
उप-प्रमुख शीर्ष	01	खनिज गवेषण और विकास
गौण शीर्ष	102	खनिज गवेषण

डेबिट		
प्रमुख शीर्ष	3601	राज्य सरकारों को अनुदान सहायता
उप-प्रमुख शीर्ष	08	राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान
गौण शीर्ष	XXX	राज्य खनिज खोज न्यास कोष के लिए राज्यों को अनुदान सहायता

डेबिट		
प्रमुख शीर्ष	3602	विधायिका वाली संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान सहायता
उप-प्रमुख शीर्ष	08	विधायिका वाली संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान
गौण शीर्ष	XXX	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष के लिए विधायिका वाली संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान सहायता

VI. एनएमईडीटी कोष से व्यय को पूरा करने हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी:-

डेबिट		
प्रमुख शीर्ष	8235	सामान्य और अन्य आरक्षित कोष
उप-प्रमुख शीर्ष	00	चूक
गौण शीर्ष	144	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष
उप शीर्ष	01	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष – अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग
(-) डेबिट		
प्रमुख शीर्ष	2853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग
उप प्रमुख शीर्ष	02	खानों का विनियमन और विकास
गौण शीर्ष	902	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष से प्राप्त राशि की कटौती
उप शीर्ष	01	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष से प्राप्त राशि की कटौती – अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग

डेबिट		
प्रमुख शीर्ष	8235	सामान्य और अन्य आरक्षित कोष
उप-प्रमुख शीर्ष	00	चूक
गौण शीर्ष	144	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष
उप शीर्ष	XX	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष - अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत व्यय
(-) डेबिट		
प्रमुख शीर्ष	4853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
उप प्रमुख शीर्ष	01	खनिज गवेषण और विकास
गौण शीर्ष	902	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष से प्राप्त राशि की कटौती
उप शीर्ष	01	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष से प्राप्त राशि की कटौती- अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत व्यय

डेबिट		
प्रमुख शीर्ष	8235	सामान्य एवं अन्य आरक्षित कोष
उप-प्रमुख शीर्ष	00	चूक
गौण शीर्ष	144	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष
उप शीर्ष	XX	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष- राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष के लिए राज्य सरकारों को अनुदान सहायता
(-) डेबिट		
प्रमुख शीर्ष	3601	राज्य सरकारों को अनुदान सहायता
उप प्रमुख शीर्ष	08	राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान
गौण शीर्ष	XXX	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष से प्राप्त राशि की कटौती
उप शीर्ष	XX	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष से प्राप्त राशि की कटौती- राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष के लिए राज्य सरकारों को अनुदान सहायता

डेबिट		
प्रमुख शीर्ष	8235	सामान्य एवं अन्य आरक्षित कोष
उप-प्रमुख शीर्ष	00	चूक
गौण शीर्ष	144	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष
उप शीर्ष	XX	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष - राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष के लिए विधायिका वाली संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान सहायता
(-) डेबिट		
प्रमुख शीर्ष	3602	विधायिका वाली संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान सहायता
उप प्रमुख शीर्ष	08	विधायिका वाली संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान सहायता अन्य अंतरण/ अनुदान
गौण शीर्ष	XXX	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष से प्राप्त राशि की कटौती
उप शीर्ष	XX	राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष से प्राप्त राशि की कटौती- राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास कोष के लिए विधायिका वाली संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान सहायता

[फा. सं. 42/1/2017-एनएमईटी]

फरीदा एम. नाईक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

(National Mineral Exploration and Development Trust)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2026

Subject: Accounting Procedure of National Mineral Exploration and Development Trust

S.O. 6149(E).— I. **A. Establishment of Fund** 1. In exercise of the power conferred by sub section (1) of section 9C of Mines & Mineral (Development and Regulation) Act, 1957 as amended on 26th March 2015, the Central Government has established a Trust namely National Mineral Exploration Trust with the objective of augmenting mineral exploration in the country.

Accordingly, the Central Government decided to establish a **Fund** to be called National Mineral Exploration Trust (NMET) Fund.

Further, as amended by Mines & Mineral (Development and Regulation) Amendment Act, 2025, name of National Mineral Exploration Trust has been changed to National Mineral Exploration and Development Trust. Therefore, the name of NMET Fund will also be changed to National Mineral Exploration and Development Trust (NMEDT) Fund.

2. The proposed fund shall be non-iapsable and placed under non-interest-bearing section of Public Account of India and shall be administered by Ministry of Mines.

3. As per Section 9C (4) of Mines & Mineral (Development and Regulation) Amendment Act, 2025, the holder of a mining lease or a composite license shall pay to the Trust a sum equivalent to three percent of the royalty paid in terms of the second schedule, in such manner as may be prescribed by the Central Government.

4. The amount towards NMEDT Fund will be received by the Central Government from respective State Governments, which will collect the same from miners.

B. Administration of the Fund

The nodal ministry for administration of the Fund shall be Ministry of Mines. The State Governments shall be required to report the accretions each month / quarter through an MIS (electronically) as prescribed by Ministry of Mines and any other additional information for budget formulation for the fund.

C. Accretions to the Fund

A sum equivalent to three percent of the royalty paid in terms of second schedule shall be credited to NMEDT Fund. The sum so collected by State Governments shall initially be booked under a head in Public Account of State and thereafter transferred to the Centre. The receipts will be classified as revenue receipts under Consolidated Fund of India by Ministry of Mines and thereafter be periodically transferred to the NMEDT Fund under Public Account of India through appropriations during the year.

While the entire accretion in a year should be transferred before close of the financial year, each month the progressive accretion should have been transferred preferably. Suitable budget provisions for the inter-account transfer may be formulated.

D. Utilization of the fund

1. The amount under this fund shall be utilised by the Trust to carry out regional and detailed exploration for minerals within India including the offshore areas, and outside India for the purposes of regional and detailed exploration and development of mines and minerals and it shall undertake such activities as may be deemed necessary by the Governing Body to achieve its objects, including, but not limited to: -

(a) funding special studies and projects designed to identify, explore, extract, beneficiate, refine, critical and strategic minerals or deep-seated or concealed mineral deposits;

(b) undertaking studies for mineral development, sustainable mining adoption of advanced scientific and technological practices and mineral extraction metallurgy;

(c) taking up exploration of areas for regional and detailed exploration, giving priority particularly to strategic and critical minerals;

(d) consulting Central Geological Programming Board to decide the priorities for exploration by the Trust;

(e) facilitating exploration activities in such a manner that areas explored can be taken up for grant of mineral concessions in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;

(f) facilitating completion of brownfield regional exploration projects in obvious geological potential areas (G3) including conducting high-risk exploration for deep-seated mineral deposits through modern technologies;

(g) promoting completion of detailed exploration (G2 or GI) in the areas where G3 stage exploration has been completed;

(h) facilitating geophysical, ground and aerial, survey and geochemical survey of obvious geological potential areas;

(i) facilitating a national core repository for encouraging research in earth sciences and for evaluation of the mineral prospects;

(j) organizing capacity building programmes to raise technical capability of personnel engaged in or to be engaged in exploration;

(k) supporting and funding the objectives and schemes of the National Critical Mineral Mission, including domestic critical mineral exploration, support of exploration activities outside India, risk coverage of foreign sourcing and mineral recovery;

(l) supporting and funding of mining, processing, beneficiation, evacuation infrastructure, technology upgradation and other activities related to mine development; and

(m) using the Trust Fund for such other purposes that the Governing Body may decide, or authorise the Executive Committee to be necessary or expedient in the interest of conservation, development and exploitation of mineral resources of lndia, not inconsistent with the provisions of the Act.

2. The dedicated schemes/activities to be funded from the NMEDT Fund shall be suitably included while notifying the Fund. The budget provisions for expenditure under said schemes/activities in the Consolidated Fund of India should be matched by recoupment from the said Fund. It may be ensured while making budget provisions for the earmarked schemes/ activities from NMEDT fund that there is a sufficient balance in the said Fund.

E. Maintenance of Accounting records and the Broadsheet of NMEDT Fund

1. Pay and Accounts Office, M/o Mines will maintain a broadsheet of accretions to and payments from the NMEDT fund and effect reconciliation on monthly basis thereof with the concerned Division. It should be ensured that there are no adverse balances under the Reserve Fund at any moment of time. Principal Accounts Officer shall provide inputs for budget formulation.

2. The Appropriation Accounts of Mines shall reflect a synopsis of the transactions / flows and balances in the fund together with scheme wise utilization.

F. Audit of NMEDT Fund

The Accounts of NMEDT fund shall be subject to statutory audit by the Comptroller and Auditor General of India. The Accounts shall also be subject to audit by Internal Audit Wing of the O/o Chief Controller of Accounts, M/o Mines.

The Detailed Accounting Entries in this regard are as follows: -

I. State Governments shall collect 3% of the royalty amount from miners and classify under the following Head of Account

Major Head	8449	Other Deposits
Minor Head	123	National Mineral Exploration and Development Trust Deposits

(This head will be operated by State Government)

II. Receipts so collected by State Governments will be transferred to Central Government on monthly basis by debiting 8449.00.123 - National Mineral Exploration and Development Trust Deposits. Following head of account will be credited in the books of Central Government on receiving the amounts towards NMEDT Fund.

Major Head	0853	Non-ferrous Mining & Metallurgical Industries
Minor Head	105	National Mineral Exploration and Development Trust
Sub Head	xx	Name of States will appear as various sub-heads

III. The NMEDT Secretariat/concerned division of the Ministry shall provide estimates of receipts towards National Mineral Exploration and Development Trust to Budget Division (M/o Finance) to enable them to make suitable provision under the Head 2853.02.797, 4853.01.797, 3601.08.797 and 3602.08.797 under the Demands for Grants of Ministry of Mines to facilitate transfer to NMEDT Fund. Following entries shall be made on transfer of NMEDT receipts to NMEDT Fund.

Debit		
Major Head	2853	Non-ferrous Mining and metallurgical Industries
Sub-Major Head	02	Regulation and Development of Mines
Minor Head	797	Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts
Sub Head	01	Transfer to National Mineral Exploration and Development Trust Fund
Detailed Head	xx	Transfer to National Mineral Exploration and Development Trust Fund – Non-ferrous Mining and metallurgical Industries
Object Head	63	Inter Account Transfer
Credit		
Major Head	8235	General and other Reserve Funds
Sub-Major Head	00	Default
Minor Head	144	National Mineral Exploration and Development Trust Fund
Sub Head	01	National Mineral Exploration Trust Fund – Non-ferrous Mining and metallurgical Industries
Detailed Head	00	Default
Object Head	00	Default

Debit		
Major Head	4853	Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries
Sub-Major Head	01	Mineral Exploration and Development
Minor Head	797	Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts
Sub Head	xx	Transfer to National Mineral Exploration and Development Trust Fund
Detailed Head	xx	Transfer to National Mineral Exploration and Development Trust Fund - Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries
Object Head	63	Inter Account Transfer
Credit		
Major Head	8235	General and other Reserve Funds
Sub-Major Head	00	Default
Minor Head	144	National Mineral Exploration and Development Trust Fund
Sub Head	xx	National Mineral Exploration Trust Fund - Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries
Detailed Head	00	Default
Object Head	00	Default

Debit		
Major Head	3601	Grants-in-aid to State Governments
Sub-Major Head	08	Other Transfer/Grants to States
Minor Head	797	Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts
Sub Head	xx	Transfer to National Mineral Exploration and Development Trust Fund
Detailed Head	xx	Transfer to National Mineral Exploration and Development Trust Fund - Grants-in-aid to State Governments for State Mineral Exploration Trust Fund
Object Head	63	Inter Account Transfer
Credit		
Major Head	8235	General and other Reserve Funds

Sub-Major Head	00	Default
Minor Head	144	National Mineral Exploration and Development Trust Fund
Sub Head	xx	National Mineral Exploration and Development Trust Fund - Grants-in-aid to State Governments for State Mineral Exploration Trust Fund
Detailed Head	00	Default
Object Head	00	Default

Debit		
Major Head	3602	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature
Sub-Major Head	08	Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislature
Minor Head	797	Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts
Sub Head	xx	Transfer to National Mineral Exploration and Development Trust Fund
Detailed Head	xx	Transfer to National Mineral Exploration and Development Trust Fund - Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature
Object Head	63	Inter Account Transfer
Credit		
Major Head	8235	General and other Reserve Funds
Sub-Major Head	00	Default
Minor Head	144	National Mineral Exploration and Development Trust Fund
Sub Head	xx	National Mineral Exploration and Development Trust Fund - Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature
Detailed Head	00	Default
Object Head	00	Default

IV. Budget Provision shall also be made in the Demands for Grants of Ministry of Mines under MH 2853, 4853, 3601 and 3602 for incurring expenditure under various Schemes under NMEDT. Equivalent amount shall be met from NMEDT Fund.

V. After due appropriation of funds and receipt of sanction of the Competent Authority, the expenditure on schemes to be financed from NMEDT Fund will be incurred from the relevant sub-major/minor heads below the Major Head 2853, 4853, 3601 and 3602. On the basis of sanctions issued by the Ministry/Department, the Pay and Accounts Officer shall make the payment by debiting government account as below:

Debit		
Major Head	2853	Non-ferrous Mining and metallurgical Industries
Sub-Major Head	02	Regulation and Development of Mines
Minor Head	102	Mineral Exploration

Debit		
Major Head	4853	Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries
Sub-Major Head	01	Mineral Exploration and Development
Minor Head	102	Mineral Exploration

Debit		
Major Head	3601	Grants-in-aid to State Governments
Sub-Major Head	08	Other Transfer/Grants to States
Minor Head	xxx	Grants to States for State Mineral Exploration Trust Fund

Debit		
Major Head	3602	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature
Sub-Major Head	08	Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislature

Minor Head	xxx	Grants to Union Territory Governments with Legislature for State Mineral Exploration Trust Fund

VI. In order to meet the expenditure from NMEDT Fund, following entry will be made:-

Debit		
Major Head	8235	General and other Reserve Funds
Sub-Major Head	00	Default
Minor Head	144	National Mineral Exploration and Development Trust Fund
Sub Head	01	National Mineral Exploration and Development Trust Fund – Non-ferrous Mining and metallurgical Industries
(-) Debit		
Major Head	2853	Non-ferrous Mining and metallurgical Industries
Sub Major Head	02	Regulation and Development of Mines
Minor Head	902	Deduct amount met from National Mineral Exploration and Development Trust Fund
Sub Head	01	Deduct amount met from National Mineral Exploration Trust Fund – Non-ferrous Mining and metallurgical Industries

Debit		
Major Head	8235	General and other Reserve Funds
Sub-Major Head	00	Default
Minor Head	144	National Mineral Exploration and Development Trust Fund
Sub Head	xx	National Mineral Exploration and Development Trust Fund - Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries
(-) Debit		
Major Head	4853	Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries
Sub Major Head	01	Mineral Exploration and Development
Minor Head	902	Deduct amount met from National Mineral Exploration and Development Trust Fund
Sub Head	01	Deduct amount met from National Mineral Exploration and Development Trust Fund - Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries

Debit		
Major Head	8235	General & Other Reserve Fund
Sub-Major Head	00	Default
Minor Head	144	National Mineral Exploration and Development Trust Fund
Sub Head	xx	National Mineral Exploration and Development Trust Fund - Grants-in-aid to State Governments for State Mineral Exploration Trust Fund
(-) Debit		
Major Head	3601	Grants-in-aid to State Governments
Sub Major Head	08	Other Transfer / Grants to States
Minor Head	xxx	Deduct amount met from National Mineral Exploration and Development Trust Fund
Sub Head	xx	Deduct amount met from National Mineral Exploration and Development Trust Fund - Grants-in-aid to State Governments for State Mineral Exploration Trust Fund

Debit		
Major Head	8235	General & Other Reserve Fund
Sub-Major Head	00	Default
Minor Head	144	National Mineral Exploration and Development Trust Fund
Sub Head	xx	National Mineral Exploration and Development Trust Fund – Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature for State Mineral Exploration Trust Fund
(-) Debit		
Major Head	3602	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature
Sub Major Head	08	Other Transfer / Grants to Union Territory Governments with Legislature
Minor Head	xxx	Deduct amount met from National Mineral Exploration and Development Trust Fund
Sub Head	xx	Deduct amount met from National Mineral Exploration and Development Trust Fund – Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature for State Mineral Exploration Trust Fund

[F. No. 42/1/2017-NMET]

FARIDA M. NAIK, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA